To Start Construction Work of Four Lane Road

***1510.** **SH. MAMMAN KHAN, M.L.A.**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that a budget of 292 Crore was approved by the Government on dated 05.06.2021 to construct four lane road on NH-248A from Nuh to Rajasthan Border;

b) if so, the time by which the construction of abovesaid road is likely to be started; and

c) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide compensation to the affected families in case of road accident deaths on this road ?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

---

a) No Sir. NH-248A from Nuh to Rajasthan Border falls under jurisdiction of Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) and four laning of this road is yet to be sanctioned by MoRTH.

b) Since work is yet to be sanctioned by MoRTH, no timeline can be given at this stage.

c) Compensation to the affected families in case of road accident deaths is governed by the Motor Vehicles Act 1988. There is no separate proposal under consideration of Government for this road.

चारमार्गी सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ करना

***1510.** **श्री मामन खान, एम.एल.ए.:–** क्या उप–मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर नूंह से राजस्थान सीमा तक चारमार्गी सड़क का निर्माण करने के लिए दिनांक 05.06.2021 को सरकार द्वारा 292 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़क का निर्माण कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है; तथा

(ग) इस सड़क पर सड़क दुर्घटना मृत्यु के मामलों में प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

दुष्यन्त चौटाला, उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा।

(क) नहीं श्रीमान् जी। नूह से राजस्थान सीमा तक एन.एच.–248 ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी.एच.) के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस सड़क को फोर लेन करने के लिए एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) चूंकि एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा अभी तक कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है, इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

(ग) सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के मामले में प्रभावित परिवारों को मुआवजा मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत शासित है। इस सड़क के लिए सरकार के पास कोई अलग प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।